न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः के.आर.खौड, आर.ए.एस.)

अपीलार्थी
1. दीपाराम पुत्र प्रेमाजी, जाति–कलबी, निवासी–बरलुट, तहसील व जिला–सिरोही
2. दरगाराम पुत्र प्रेमाजी, जाति–कलबी, निवासी–बरलुट, तह. व जिला– सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थी
1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सिरोही, जिला– सिरोही
2. पटवारी, पटवार हल्का, बरलुट

राजस्व अपील संख्याः 37/2022

"अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थितिः
1. अधिवक्ता श्री दिलीप राजपुरोहित, अपीलार्थीगण की ओर से
2. पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थीगण की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 02 फरवरी, 2023**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थी की ओर से यह अपील नायब तहसीलदार, सिरोही द्वारा प्रकरण संख्या 33/2022 में पारित निर्णय दिनांक 11.10.2022 से व्यथित होकर प्रत्यर्थी के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सम्मन जारी किये गये एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थीगण की ओर से पेरोकार सरकार द्वारा उपस्थिति दी गई।

(3) बहस सुनी गई। अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री दिलीप राजपुरोहित ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित है। यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस अपीलार्थी के भाई द्वारा प्राप्त कर अपीलार्थी के भाई ने ही अधिवक्ता के मार्फत लिखित जवाब प्रस्तुत करवाया तथा सुनवाई हेतु समय चाहा जिस पर अपीलार्थी के अधिवक्ता को सुनवाई हेतु समय प्रदान किया लेकिन उसके बाद अपीलार्थी के अधिवक्ता की अनुपस्थिति में निर्णय पारित कर दिया है, जबकि काननून अपीलार्थी को सुनवाई का युक्तियुक्त समय दिया जाना आज्ञापक था। पटवारी हल्का बरलुट ने अपीलार्थी को खसरा संख्या 311 का अतिक्रमी बताया है एवं उक्त खसरा राजस्व रेकर्ड अनुसार गैर मुमकीन रास्ता है लेकिन लगभग 35–40 साल पूर्व जब इस रास्ते पर पक्की सडक का निर्माण किया जा था उस समय इस सडक के घुमाव को निकालकर सडक को सीधा करने के लिये अपीलार्थी के खसरा संख्या 309 जो कि अपीलार्थी के खातेदारी का था उस पर रास्ता बनाया गया एवं पूर्व में रास्ते की भूमि खसरा संख्या 311 अपीलार्थीगण को सुपर्द की गई, चूंकि अपीलार्थीगण ज्यादा पढे लिखे नही होने से व रोजगार हेतु गांव से बाहर रहने के कारण तत्समय खसरा संख्या 311 की खातेदारी अपने नाम से दर्ज नही करवा सके परन्तु राजस्व अधिकायियों द्वारा खसरा संख्या 309 की खातेदारी को परिवर्तित कर सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड के नाम दर्ज कर उसकी किस्म सडक की गई। इस प्रकार, पटवारी हल्का द्वारा जिस खसरा संख्या का अपीलार्थीगण को अतिक्रमी बताया गया है उक्त खसरा पिछले 35–40 साल से [illegible] के कब्जे काश्त में है एवं उक्त खसरा संख्या 311 की भूमि कभी भी [illegible] में उपयोग में नही ली गई है। अपीलार्थीगण द्वारा इस खसरा संख्या 311, 308 [illegible] ही चक में होने

.....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:34:06 IST
Reason: SelfAttested

के कारण अपीलार्थीगण ने इस खसरा संख्या 311 में अपना पुराना कुआं खुदा हुआ है एवं उस कुए से ही अपीलार्थी के अन्य खसरान में सिंचाई होती है। यदि उक्त खसरा संख्या 311 की भूमि सडक की होती तो जिस समय अपीलार्थी द्वारा इस खसरे की भूमि में कुआ और बोरवेल खुदवाया जा रहा था उस समय अवश्य ही राजस्व अधिकारियों व अन्य लोगों द्वारा आपत्ति की जाती परन्तु इस प्रकरण से पूर्व में न तो कभी राजस्व अधिकारियों व न ही किसी अन्य व्यक्तियों द्वारा अपीलार्थी के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न की है। खसरा संख्या 311 राजस्व रेकर्ड अनुसार गै.मु. रास्ता है, लेकिन इस सर्मूण खसरा की भूमि का उपयोग कभी भी रास्ते के रुप में नही हुआ एवं कदीम से रास्ता खसरा संख्या 309 से होकर गुजरता है एवं वर्तमान में भी खसरा संख्या 309 में मौके पर पक्की डामर सडक निकली हुई है। अतः अपीलार्थीगण की अपील को स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.10.2022 को निरस्त किया जावे। जबकि विद्वान पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि अपीलार्थीगण द्वारा उक्त राजकीय बिलानाम रास्ता भूमि पर अतिक्रमण कर बोर कुआं खोदने व काश्त करने की रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में हल्का पटवारी, बरलुट द्वारा प्रस्तुत करने पर नियमानुसार प्रकरण दर्ज किया जाकर अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देते हुए बाद जांच विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। अतः अपीलार्थीगण की अपील को खारिज किया जावे।

(4) हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि हल्का पटवारी, बरलुट द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध संवत 2079 में ग्राम बरलुट के खसरा संख्या 311 किस्म गै.मु. रास्ता रकबा 0.28 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण कर बोर कुआं खोदने व काश्त कर अतिक्रमण कर कब्जा करने की रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, सिरोही में प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थीगण को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण की ओर से उनके अधिवक्ता ने उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत किया है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि राजस्व रेकर्ड में ग्राम बरलुट, पटवार हल्का बरलुट के खसरा संख्या 311 रकबा 0.28 हेक्टेयर भूमि गै.मु. रास्ता भूमि दर्ज है एवं अपीलार्थी द्वारा गै.मु. रास्ता भूमि पर अतिक्रमण कर बोर कुआ खोदा गया व काश्त की गई है। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थीगण की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपीलार्थीगण की अपील को खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

(के.आर.खौड)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:34:06 IST
Reason: SelfAttested